राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक–प.(1)भण्डार/अनु.वाहन/2015–16/221/774 दिनांक:– 11/12/15

अल्पकालीन विज्ञप्ति

मण्डल मुख्यालय में जनवरी, फरवरी, मार्च वर्ष 2016 एवं वित्त वर्ष 2016–17 हेतु 22 टैक्सी वाहन मण्डल के कार्य हेतु लगानी है। इसके लिए टैक्सी परमिट धारी वाहन मालिको, ट्रेवल एजेन्सीज से रजिस्टर्ड टैक्सी वाहन, जो स्वंय के नाम से रजिस्टर्ड हो से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र के साथ वाहन संबधित दस्तावेजों व टैक्सी वाहन चालक के लाइसेंस की छाया प्रति संलग्न कर दिनांक 28.12.2015 के दोपहर 3:00 बजे तक प्राप्त की जाएगी। कोई भी वाहन 6 वर्ष से अधिक पुराना नही होना चाहिए। वाहन :– स्विफ्ट डिजाइर/इण्डिगो/इण्डिका इत्यादि वाहन हेंतु दर 1500 कि.मी. तक रूपये 20000/– + सर्विस टैक्स देय होगा। इनकम टैक्स व अन्य टैक्स वाहन धारक को वहन करना होगा। मण्डल कार्य से माह में 1500 कि.मी. से अधिक वाहन चलने पर @ 7.25 प्रति की दर से सक्ष्म स्वीकृति के पश्चात भुगतान किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ प्रति टैक्सी कार वाहन हेतु रू. 4800/– का ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर के पक्ष में अमानत राशि के रूप में संलग्न करना होगा। टैक्सी वाहन अनुबन्ध पर लगाने की प्रकिया मण्डल की शर्तो व नियमों के अनुसार ही मान्य होगी। संवेदकों से ली जाने वाली वाहनो की संख्या के प्रस्तावों एवं वाहनों की कन्डीशन पर निर्णय प्रोक्योरमेन्ट कमेठी द्वारा लिया जायेगा। विस्तृत शर्तो के बारे में मुख्यालय स्टोर से कार्य दिवस में कार्यालय समय में जानकारी प्राप्त की सकती है, या आवासन मण्डल की वेबसाइट पर जानकारी देखी जा सकती है। आवेदन पत्रों पर अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार राजस्थान आवासन मण्डल का होगा।

सचिव